UPBJ240001642007

न्यायालय, सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, नजीबाबाद, बिजनौर।

उपस्थित–चंदन कुमार सिंह, (उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा)

सी0एन0आर0 नं0–**UPBJ240001642007**

आपराधिक वाद संख्या 219 सन 2007

उ0प्र0 राज्य

– – – –अभियोजन।

बनाम

1–सुखदेव उर्फ पप्पू पुत्र सरदार इन्दर सिंह, उम्र–53 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम गुलाल वाली, थाना मण्डावली, जनपद बिजनौर।

– – – –अभियुक्त।

मु0अ0सं0:–332/2006
धारा–60/62 आबकारी अधिनियम
थाना–मण्डावली।
जिला–बिजनौर।

निर्णय

पुलिस थाना मण्डावली, जिला बिजनौर ने अभियुक्त सुखदेव उर्फ पप्पू के विरूद्ध मु0अ0सं0 332/2006 अर्न्तगत धाराः 60/62 आबकारी अधिनियम में विचारण हेतु आरोप–पत्र प्रेषित किया है।

2– संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 29–11–2006 को मैं0 एच0सी0पी0 जावेद खां मय कां0 1098 मनोज कुमार व कां0 843 सुबोध कुमार व कां0 590 बालेन्द्र सिंह के इलाका थाना हाजा में गस्त भ्रमण में मामूर थे जब हम गस्त करते हुए जंगल गुलाल वाली में वन क्षेत्र में पहुंचे तो वन क्षेत्र के बीच में बहने वाले पानी के नाले के पूर्वी किराने पर झाड़ियों वे पेड़ के बीच में से धुंआ उठता हुआ दिखाई दिया, चूंकि इस क्षेत्र में कच्ची शराब की कसीदगी की अक्सर शिकायत होती है। अतः हमें शक हुआ कि यहां पर कच्ची शराब की कसीदगी की जा रही है। मुझ एच0सी0पी0 ने हमराही कर्म0 को सावधान करके झाडियों व पेड़ों की आड़ में से छिपते छिपाते नजदीक जाकर देखा कि नाले के किनारे एक व्यक्ति जमीदोज चूल्हा जलाकर उस एक टीन का कनस्तर मिट्टी की नांद व सिल्वर की पतीली रखकर तथा पतीली में एक लकड़ी डण्डी से कुछ हिला रहा है। एक में से कच्ची शराब की बू आ रही है। हमें पूरा विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति कच्ची शराब की कसीदगी कर रहा है जनता के गवाहन घोर जंगल होने के कारण उपलब्ध नहीं हो सके। अतः हमराही कर्म0 की मदद से चारों ओर से घेर कर आवश्यक बल का प्रयोग करके मौके पर ही समय करीब 15:00 बजे पर पकड़ लिया। पकड़े जाने पर नाम पता पूछा तो इसने अपना नाम सुखदेव सिंह उर्फ पप्पू पुत्र सरदार इंदर सिंह निवासी ग्राम गुलाल

वाली, थाना मण्डावली, जिला बिजनौर बताया। इसके पास में जलते जमीदोज चूल्हे पर टिन कनस्तर व मिट्टी की नांद तथा सिल्वर की पतीली रखी है। पतीली में पानी भरा है। पतीली को हटाकर देखा कि मिट्टी की नांद रखी है जिसमें एक मिट्टी का प्याला तारों से बंधा लट्का है। प्याले में एक प्लास्टिक का पाईप लगा है जो नांद में से निकलकर पास में जमीन पर रखी एक नीले रंग की प्लास्टिक की कैन में इसका दूसरा सिरा लगा है। जिसमें से बूंद–बूंद द्रव्य टपक कर कैन में भर रहा है। कैन में लगभग 2 लीटर द्रव्य भरा है जिसे सूंघकर देखा व हमराही कर्म0गणों को सुंघाया तो कच्ची शराब की बू आ रही है। मिट्टी की नांद व प्याले को कनस्तर के उपर से नीचे रखना चाहा तो दोनों मौके पर टूट गये पतीली के पानी से चूल्हे की आग को बुझाया गया व कनस्तर में देखा तो गरम लहन भरा खोल रहा है जिसे जमीन पर गिराकर नष्ट कर दिया गया चूल्हे के पास में पड़ी एक कांच की शीशी में लहन का नमूना भरकर सील किया गया तथा पास में जमीन पर प्लास्टिक की नीले रंग की 10–10 लीटर की दो जरीकैन द्रव्य से भरी ढक्कन से बंद हुई रखी है जिन्हें खोलकर सूंघा व हमराही कर्म0गण को सूंघाया तो उनमें से भी कच्ची शराब की बू आ रही है पास में ही जमीन पर एक प्लास्टिक का मग पड़ा है जो पतीली का पानी बदलने का काम में लाया जा रहा था। सुखदेव सिंह उर्फ पप्पू को उसके जुर्म धारा–60/62 आबकारी अधिनियम से अवगत कराते हुए हिरासत पुलिस में लिया गया, व बरामद शराब की तीनों प्लास्टिक की जरीकैन को ढक्कन से मुंह बंद करके मुंह पर कपड़ा बांधकर सील व सर्वे मोहर किया गया तथा कांच की शीशी लहन से भरी को भी ढक्कन से मुंह बंद करके कपड़ा बांध कर सील व सर्वे मोहर किया गया। नमूना मोहर लिया गया फर्द मौके पर लिखकर हमराहियान को पढ़कर सुनाकर गवाही करायी गयी तथा भट्टी उपकरणों, टिन कनस्तर, सिल्वर की पतीली, प्लास्टिक मग तथा प्लास्टिक पाईप को भी कब्जे में लेकर चिटबंदी की गयी। चूंकि मिट्टी की नांद व प्याला मौके पर टूट गया है। अतः कब्जे में नहीं लिया जा सका। गिरफ्तारी के दौरान मानवाधिकार के निर्देशों का पालन किया गया। अभियुक्त सुखदेव सिंह उर्फ पप्पू की गिरफ्तारी की सूचना थाने से ही इसके परिजनों को दी जायेगी। नकल फर्द अभियुक्त को देकर असल फर्द पर इसके हस्ताक्षर कराये गये। माल व मुल्जिम को थाने पर लाकर अभियुक्त के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–332/2006, अन्तर्गत धाराः 60/62 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गई ।

इस आपराधिक प्रकरण की विवेचना उपरांत मौका मुआयना किया जाकर घटना स्थल का नक्शा नजरी बनाया गवाहों के बयान लिये तथा विवेचना की अन्य औपचारिकतायें पूर्ण कर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप–पत्र अर्न्तगत धाराः 60/62 आबकारी अधिनियम में प्रेषित किया गया।

आरोप पत्र पर प्रसंज्ञान उपरांत अभियुक्त सुखदेव उर्फ पप्पू न्यायालय उपस्थित आया तथा दिनांक 16–09–2009 को अभियुक्त विरूद्ध न्यायालय द्वारा धाराः 60/62 आबकारी अधिनियम के अर्न्तगत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण किये जाने की याचना की।

अभियोजन ने अपने कथानक के समर्थन में मूल एफ0आई0आर0, फर्द बरामदगी, नकल चिक, नकल रपट, नक्शा नजरी, मदिरा परीक्षण रिपोर्ट व आरोप पत्र पत्रावली पर प्रस्तुत किया है।

अभियोजन को साक्षी परीक्षित कराये जाने हेतु लगातार अवसर दिया गया। साक्षियों के विरूद्ध बाध्यकारी आदेशिकाएं लगातार निर्गत की गयी तथा अभियोजन द्वारा साक्षी परीक्षित कराने में विफल रहने पर उच्चाधिकारियों को पत्र प्रेषित किये गये। तथापि अभियोजन द्वारा कोई साक्षी परीक्षित नहीं कराया गया। जिस कारण न्यायालय आदेश दिनांकित 17–10–2018 द्वारा साक्ष्य अभियोजन समाप्त करते हुए पत्रावली बयान अभियुक्त अन्तर्गत धारा–313 दं0प्र0सं0 में अग्रसारित की गयी।

अभियुक्त सुखदेव उर्फ पप्पू के बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक 29–02–2020 को अंकित किये गये। अभियुक्त ने अपने बयान में घटना को गलत बताया, प्रलेखीय साक्ष्य को मिथ्य बताया, कोई सफाई दिये जाने से इन्कार किया तथा कुछ कहने से भी इन्कार किया है।

मैंने विद्वान अभियोजन अधिकारी तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

अभियोजन को यह साबित करना है कि क्या घटना की दिनांक, समय, स्थान पर पुलिस पार्टी द्वारा अभियुक्त मुकदमा को संदिग्ध अवस्था में गिरफ्तार किया गया तथा उसके पास 22 लीटर कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए।

अपने कथानाक के संबंध में अभियोजन द्वारा न ही किसी साक्षी को परीक्षित नहीं कराया है और न फर्द बरामदगी, मदिरा परीक्षण आख्या, प्रथम सूचना रिपोर्ट, नक्शा नजरी व अरोप पत्र को साबित कराया है। यह भी कि अभियोजन को बार–बार अवसर प्रदान किये जाने के उपरांत कोई बरामद माल मुकदमाती न्यायालय के समक्ष पेश नहीं किया है। प्रतिपक्ष का तर्क है कि अभियुक्त निर्दोष है। उल्लेखनीय है कि घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अभियोजन कथानक साबित नहीं है।

अभियुक्त के विरूद्ध यह आरोप लगाया गया है कि दिनांक 29–11–2006 को समय दिनांक 15:00 बजे जंगल ग्राम गुलाल वाली वन क्षेत्र थाना मण्डावली, बिजनौर में पुलिस की गश्त के दौरान अभियुक्त के पास से जामां तलाशी में 22 लीटर शराब बरामद हुई। अभियोजन पक्ष के ओर से धारा–161 सीआर0पी0सी0 के तहत विवेचक के द्वारा गवाहों के बयान अंकित किये गये जिसमें वादी मुकदमा एच0सी0पी0 जावेद खां व अन्य के द्वारा घटना का समर्थन किया गया, किन्तु विचारण के दौरान पर्याप्त मौका दिये जाने के बावजूद भी अभियोजन पक्ष की ओर से किसी भी साक्षी को अभियोजन कथानक के समर्थन में प्रस्तुत नहीं किया गया। दिनांक 17–10–18 को न्यायालय अभियोजन को पर्याप्त मौका दिये जाने के उपरांत साक्ष्य का मौका समाप्त किया गया। माननीय उच्चतम न्यायालय ने विधि व्यवस्था **हुसनैरा खातून बनाम होम सैकेट्ररी बिहार राज्य, ए0आई0आर0 1979, सुप्रीम कोर्ट 1369** में माननीय न्यायालय द्वारा प्रस्तुत किया गया कि A procedural law is

void if it does not provoid for speedy trail व **माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था राजस्थान राज्य बनाम सुखपाल, ए0आई0आर0 1984 एस0सी0 207** के अनुसार In ordnate delay by state inbringing an accused to trail---- if there is no fualt by accused violates article-21 of constitution on India. ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि अभियोजन द्वारा दर्शायी गयी घटना तथा लगाये गये आरोप पर्याप्त रूप से अभियोजन पक्ष साबित करने में विफल रहा है। ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली में मौजूद नहीं है जिसके आधार पर अभियुक्त को लगाये गये आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित माना जा सके।

अतः समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त सुखदेव उर्फ पप्पू प्रस्तुत में लगाये गये आरोप से दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त सुखदेव उर्फ पप्पू को धारा–60/62 आबकारी अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है, उसके जमानतनामें एवं बंधपत्र निरस्त किये जाते हैं तथा प्रतिभूगण को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

बरामद माल बाद मियाद अपील नियमानुसार निस्तारित किया जाए।

दण्ड प्रक्रिया की धारा 437ए के अनुसार अभियुक्त द्वारा मु0 20,000/–रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं समान धनराशि का दो प्रतिभू इस आशय से दाखिल किया जाये कि इस निर्णय के विरूद्ध योजित अपील में यदि माननीय अपीलीय न्यायालय द्वारा उसको आहुत किया जाता है, तो वह माननीय अपीलीय न्यायालय में उपस्थित होगा।

(चंदन कुमार सिंह)
दिनॉकः–16–03–2021 सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नजीबाबाद, बिजनौर।
यू0पी0–2256

आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनॉकित होकर सुनाया गया।

(चंदन कुमार सिंह)
दिनॉकः–16–03–2021 सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
नजीबाबाद, बिजनौर।
यू0पी0–2256